राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/4026-35 दिनांक: 29/3/2016

**वित्तीय स्वीकृति आदेश**

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/ 3645-54 दिनांक 10.03.2016 द्वारा विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्तर्गत "कस्टम हायरिंग केन्द्र, बड़गांव पंचायत समिति बड़गांव जिला उदयपुर" की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा बड़गांव जिला उदयपुर द्वारा विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्तर्गत "कस्टम हायरिंग केन्द्र, बड़गांव पंचायत समिति बड़गांव जिला उदयपुर" के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ऋण स्वीकृति पत्रांक बी.एल/117 दिनांक 28.03.2016 द्वारा राशि रू. 16,10,000/- मात्र (अक्षरे रूपये सोलह लाख दस हजार मात्र) की परियोजना लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी एंव मार्जिन राशि रू. 3,10,000/- मात्र (अक्षरे रूपये तीन लाख दस हजार मात्र) को घटाकर राशि रू. 13,00,000/- मात्र (अक्षरे रूपये तेरह लाख मात्र) का ऋण आवेदक विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव जिला उदयपुर" को स्वीकृत किया गया है।

कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैक एन्ड सब्सिडी (Back and subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अध्यधीन विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र के अन्तर्गत "कस्टम हायरिंग केन्द्र, बड़गांव पंचायत समिति बड़गांव जिला उदयपुर" के अन्तर्गत राशि रू. 6,44,000/- मात्र (अक्षरे रूपये छः लाख चौवालिस हजार मात्र) का भुगतान बैक एन्ड सब्सिडी (Back and subsidy) के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा बड़गांव जिला उदयपुर को किये जने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद उदयपुर को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
**आयुक्त एवं पदेन**
**विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि**

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/4026-35 दिनांक: 29/3/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), उदयपुर ।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद उदयपुर को उनके पत्रांक पत्र क्रमांक एफ 2 ( ) कृ.अ. सा/कृषि यंत्र/कृ. य/2015-16/7765-73 दिनांक 26.03.2016 के क्रम मे प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैक एन्ड सब्सिडी का सम्बन्धित बैंक शाखा को भुगतान करे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा बड़गांव जिला उदयपुर जरिये उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद उदयपुर।
8. डॉ0 श्री आनन्द सिंह जोधा कार्यक्रम समन्वयक, विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव, पंचायत समिति बड़गांव जिला उदयपुर
9. आरक्षी पत्रावली।

(एल. एन. कुमावत)
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार